UPBS010038142026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-द्वितीय, बस्ती।

प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-1172/2026

विक्रम उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व. प्रकाश
निवासी-चननी परासी, थाना कोतवाली, जिला बस्ती।
.... **अभियुक्त/आवेदक।**

बनाम

राज्य उ०प्र०।
..............................**विपक्षी**

मुकदमा अपराध संख्या- 10/2026,
धारा-152 रेलवे अधिनियम,
थाना -जी.आर.पी. बस्ती, जिला बस्ती।

दिनांक :-15.07.2026

1- प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त/आवेदक विक्रम की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या-10/2026, धारा-152 रेलवे अधिनियम, थाना- जी.आर.पी. बस्ती, जिला बस्ती में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

2- प्रस्तुत मामले में संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी नीलम देवी पत्नी अशोक कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम वेना, थाना बरहज, जनपद देवरिया, उम्र 32 वर्ष कि रहने वाली है। दिनाँक 23.04.2026 को रेलवे स्टेशन भटनी से रात्रि 9 बजे एल.टी.टी. ट्रेन मुंबई जाने के लिए पकड़ी थी कि रास्ते में खलीलाबाद बस्ती के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर बाजी की गई जिससे मेरा सिर फट गया, खुन बहने लगा। ट्रेन में बैठे सवेशी लोग द्वारा रेलवे पुलिस की सूचना दी गई। मेरा इलाज गोंडा में डॉ. द्वारा किया गया हम अपने तीन बच्चों के साथ मुंबई जा रही थी। अतः निवेदन है कि अज्ञात पत्थरबाज के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए।

3- अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में न ही विचाराधीन है और न ही निस्तारित है। प्रार्थी दिनांक-25/05/2026 से जिला कारागार बस्ती में निरूद्ध है, प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर मातहत न्यायालय द्वारा दिनांक-17/06/2026 को खारिज कर दिया गया है, प्रार्थी का जुर्म से वास्ता सरोकार नहीं है, प्रार्थी ने किसी ट्रेन पर कोई पत्थरबाजी नहीं किया है, प्रार्थी को जी०आर०पी पुलिस के द्वारा रेलवे स्टेशन के बाहर से पकड़कर गिरफ्तारी का बिना कोई कारण बताए झूठी कहानी के आधार पर फर्जी मुकदमें में फंसा दिया गया है। प्रार्थी का जुर्म से वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है, प्रार्थी का कोई पैरवीकार नहीं है। प्रार्थी के मुकदमें की पैरवी लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थी से अन्देशा मफरूरी भी नहीं है, प्रार्थी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा, मुकदमें की पैरवी नियमित रूप से करेगा, अभियोजन साक्षियों को प्रभावित करने के लिए कोई प्रलोभन व दबाव नहीं डालेगा, न्यायहित में प्रार्थी को उचित जमानत मुचलके पर रिहा किया जाना उचित

Digitally signed by Meenakshi Sonkar
Date: 2026.07.15 16:35:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एंव न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई है।

4- अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्त/आवेदक के जमानत का घोर विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि अपराध अन्तर्गत धारा 152 रेलवे अधिनियम से संबंधित है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में उसका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाये।

5- जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को मैंने विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

6- पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि दिनांक 23.04.2026 को रात्रि लगभग 09:00 बजे प्रार्थिनी नीलम देवी पत्नी अशोक कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम वेना, थाना बरहज, जनपद देवरिया, अपने तीन बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन भटनी से एल.टी.टी. एक्सप्रेस द्वारा मुंबई जा रही थीं। यात्रा के दौरान खलीलाबाद एवं बस्ती रेलवे स्टेशनों के मध्य अभियुक्त द्वारा चलती ट्रेन पर पत्थर फेंका गया, जिससे पत्थर प्रार्थिनी के सिर पर लगने से उन्हें गंभीर चोट आई तथा खून बहने लगा।

7- केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा रात्रि में नशे के हालत में रेलवे ट्रैक के किनारे पश्चिम आउटर पर खड़े होकर एल.टी.टी. मुंबई ट्रेन तेजी से आती हुई देख पत्थरबाजी की गई जो प्रार्थिनी के सिर में लगा एवं गंभीर चोटें आईं। मेडिकल प्रपत्रों एवं सी.टी. स्कैन रिपोर्ट से स्पष्ट है कि घायल के सिर के दाहिने पैरिएटल भाग में कमिन्यूटेड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, दाहिने पैरिएटल लोब में हेमरेजिक कॉन्ट्यूजन तथा दाहिनी सेरेब्रल कॉन्वेक्सिटी के साथ लगभग 3 मि.मी. का एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा पाया गया, जो गंभीर सिर की चोट का द्योतक है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का है।

8- उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुणदोष पर विचार न करते हुए न्यायालय इस मत का है कि जमानत हेतु लिये गये आधार पर्याप्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक/अभियुक्त विक्रम द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त विक्रम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक –15.07.2026

(मीनाक्षी सोनकर)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०–द्वितीय, बस्ती।